कार्यालय जेल अधीक्षक,सब जेल डॉ.अम्बेडकर नगर महू जिला–इन्दौर(म.प्र.)

(E-mail- subjailmhow123@gmail.in) ph

क्रमांक 629 / निर्वाह / 2026 महू, दिनांक 11 / 05 / 2026

प्रति,

संचालक,
सूचना एवं प्रकाशन विभाग,
जनसंपर्क भवन, बाणगंगा रोड़, भोपाल, मध्यप्रदेश

विषय :– सब जेल डॉ. अम्बेडकरनगर महू के लिये **अल्पकालिक वर्ष 2026–27 में खण्ड 01 खाद्यान्न, सब्जी एवं फल** की आपूर्ती हेतु वार्षिक ई–निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित कराने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि सब जेल डॉ. अम्बेकडकरनगर महू जिला–इन्दौर में परिरूद्ध बंदियों के लिये **अल्पकालिक** वर्ष 2026–27 में तृतीय खण्ड 01 खाद्यान्न, सब्जी एवं फल आदि सामग्री के क्रय हेतु वार्षिक निविदायें ई–टेण्डरिंग (Online System) के माध्यम से संलग्न निविदा विज्ञप्ति अनुसार जारी कर दिनांक **14.03.2026** तक निविदायें आमंत्रित की गई
हैं।

अतः निविदा विज्ञप्ति की एक प्रति पत्र के संलग्न आपकी ओर ऑनलाईन प्रेषित कर अनुरोध है कि निविदा विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक 14.05.2026 के पूर्व व्यापक परिचालन वाले कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में कराने का कष्ट करें।

सहायक जेल अधीक्षक
सब जेल डॉ. अम्बेकडकरनगर महू
इन्दौर (म.प्र.)

पृ. क्रमांक / निर्वाह / 2026 इन्दौर, दिनांक / 05 / 2026

प्रतिलिपि :–

1. महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ, जेल मुख्यालय म.प्र. भोपाल की ओर निविदा विज्ञप्ति की 02 प्रतियॉ प्रेषित कर निवेदन है कि निविदा विज्ञप्ति को जेल मुख्यालय भोपाल की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर की ओर निविदा विज्ञप्ति की 01 प्रति सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. प्रबंधक, म.प्र. लघु उद्योग निगम, भोपाल की ओर निविदा विज्ञप्ति की 01 प्रति सूचनार्थ सादर प्रेषित।
4. प्रबंधक, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल की ओर निविदा विज्ञप्ति की 01 प्रति सूचनार्थ सादर प्रेषित।
5. तहसीलदार, तहसील महू एवं सचिव, कृषि उपज मण्डी,महू समिति की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि निविदा सूचना में दर्शायी गयी वस्तुओं के बाजार भाव (निविदा खोलने की तिथि से एक दिन पूर्व) निविदा खोलने की दिनांक 01.06.2026 को दोपहर 12:00 बजे के पूर्व सब जेल महू जिला इन्दौर के जेल गेट पर भिजवाने का कष्ट करे एवं तहसीलदार,महू, जिला इन्दौर की ओर निविदा विज्ञप्ति की 02 प्रति प्रेषित कर अनुरोध है कि विज्ञप्ति की 01 प्रति सूचना पटल पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
6. प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र जिला इन्दौर की ओर निविदा विज्ञप्ति की 01 प्रति प्रेषित कर अनुरोध है कि अ.जा./अ.ज.जा. के उद्यमियों/व्यवसायियों को सूचित करने का कष्ट करें एवं उनकी सूची इस कार्यालय को दिनांक 29.05.2026 के पूर्व भिजवाने का कष्ट
करें।
7. जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल इन्दौर, जिला जेल– इन्दौर, धार, खण्डवा एवं सब जेल– बड़वाह, देपालपुर, सरदारपुर, सांवेर की ओर निविदा विज्ञप्ति की 01–01 प्रति प्रेषित कर लेख है कि स्थानीय व्यापारियों से टीप करवाकर निविदा विज्ञप्ति दिनांक **14.05.2026** के पूर्व इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
8. स्थानीय पंजीकृत व्यापारियों की ओर निविदा विज्ञप्ति की एक प्रति सूचनार्थ एवं टीप कराने हेतु प्रेषित।

सहायक जेल अधीक्षक
सब जेल डॉ. अम्बेकडकरनगर महू
इन्दौर (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जेल अधीक्षक डॉ. अम्बेडकर नगर सब जेल महू जिला इन्दौर (म.प्र.)

(E-mail- subjailmhow123@gmail.in)

क्रमांक 638/निर्वाह/2026 महू , दिनांक 11/05/2026

ई – टेण्डरिंग निविदा आमंत्रण सूचना

(वार्षिक ठेका) वर्ष 2026–27 अल्पकालिक

सब जेल डॉ. अम्बेडकर नगर महू, जिला इन्दौर में परिरूद्ध बंदियों हेतु मध्य प्रदेश जेल पूर्ति नियम 1968 तथा मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) के तह (तृतीय) खण्ड 01 –खाद्यान्न, सब्जियाँ एवं फल, सामग्री की आपूर्ति के लिये वार्षिक ठेका वर्ष 2026–27 के लिये ई–निविदा विज्ञप्ति निम्नानुसार जारी की जाती है :–

::निविदा कार्यक्रम का विवरण::

क्र.	विवरण	दिनांक व समय	स्थान
01	प्री–बिड मीटिंग	21/05/2026, प्रातः 11:00 बजे	कार्यालय जेल अधीक्षक सब जेल डॉ. अम्बेडकर नगर महू, जिला इन्दौर
02	निविदा फार्म क्रय करने की अंतिम तिथि	29/05/2026 सायं 05.00 बजे तक	वेबसाईट www. mptenders. gov.in पर प्राप्त किये जा सकेंगे।
03	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	29/05/2026 सायं 05:00 बजे तक	वेबसाईट www. mptenders. gov.in पर ऑनलाईन स्वीकार की जावेगी।
04	नमूने जमा करने की अंतिम तिथि	29/05/2026 प्रातः 05:00 बजे तक	कार्यालय जेल अधीक्षक सब जेल डॉ. अम्बेडकर नगर महू, जिला इन्दौर
05	नमूनों का गुणवत्ता परीक्षण की तिथि	30/05/2026 दोपहर 11:00 बजे	कार्यालय जेल अधीक्षक सब जेल डॉ. अम्बेडकर नगर महू, जिला इन्दौर
05	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	30/05/2026 सांय 05:00बजे	कार्यालय जेल अधीक्षक सब जेल डॉ. अम्बेडकर नगर महू, जिला इन्दौर
06	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	01/06/2026 दोपहर 12:00 बजे	कार्यालय जेल अधीक्षक सब जेल डॉ. अम्बेडकर नगर महू, जिला इन्दौर

निविदा की विसतृत जानकारी वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदा में किया गया कोई भी संशोधन वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर अपलोड किया जावेगा, जिसकी सूचना सब जेल महू के सूचना पटल पर भी चस्पा की जावेगी।

सहायक जेल अधीक्षक
सब जेल महू, जिला इन्दौर(म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

तृतीय वार्षिक ठेका अल्पकालिक वर्ष 2026–27 :: खण्ड–01 खाद्यान्न, सब्जी एवं फल सामग्री

क्र.	वस्तु का नाम	अनुमानित मात्रा	किस्म	ठेके की कुल लागत
01	सोयाबीन तेल	25 क्विंटल	तदैव	10 लाख
02	डालडा (वनस्पती घी)	05 क्विंटल	तदैव	
03	गुड देशी सूखा	05 क्विंटल	तदैव	
04	मठ्ठा	10 क्विंटल	तदैव	
05	पिण्ड खजूर किलो में	50 किलो	तदैव	
06	बिस्किट पैकेट में	100 किलो	तदैव	
07	नमकीन सेव	100 किलो	तदैव	
08	ब्रेड (पैकेट में)	100 किलो	तदैव	
09	टोस्ट (पैकेट में)	100 किलो	तदैव	
10	सोयाबीन बड़ी सूखी	05 क्विंटल	तदैव	
11	प्याज सूखा	20 क्विंटल	तदैव	
12	लौकी	25 क्विंटल	तदैव	
13	कददू हरा	25 क्विंटल	तदैव	
14	बैगन	25 क्विंटल	तदैव	
15	टिण्डोरी	15 क्विंटल	तदैव	
16	टिण्डा	05 क्विंटल	तदैव	
17	गिलकी हरी	20 क्विंटल	तदैव	
18	ग्वारफली	20 क्विंटल	तदैव	
19	मटरफली	25 क्विंटल	तदैव	
20	बालोरफली	15 क्विंटल	तदैव	
21	अरबी	20 क्विंटल	तदैव	
22	भिण्डी	15 क्विंटल	तदैव	
23	पालक	15 क्विंटल	तदैव	
24	मैथी भाजी	15 क्विंटल	तदैव	
25	चौलाई लाल भाजी	05 क्विंटल	तदैव	
26	पत्तागोभी	20 क्विंटल	तदैव	
27	फूलगोभी	25 क्विंटल	तदैव	
28	कटहल	10 क्विंटल	तदैव	
29	परबल	10 क्विंटल	तदैव	
30	सुरजना फली	05 क्विंटल	तदैव	
31	टमाटर पके लाल	20 क्विंटल	तदैव	
32	हरी मिर्च	05 क्विंटल	तदैव	
33	हरा धनिया	05 क्विंटल	तदैव	
34	ककडी	20 क्विंटल	तदैव	
35	गाजर	20 क्विंटल	तदैव	
36	मूली (नग में)	2000 नग	तदैव	
37	चुकन्दर	05 क्विंटल	तदैव	
38	लहसन	01 क्विंटल	तदैव	
39	अदरक	01 क्विंटल	तदैव	
40	सेवफल	01 क्विंटल	तदैव	
41	केले (दर्जन में)	100 दर्जन	तदैव	
42	पपीता	01 क्विंटल	तदैव	
43	मौसबीं	01 क्विंटल	तदैव	

सहायक जेल अधीक्षक
सब जेल महू जिला इन्दौर(म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जेल अधीक्षक, सब जेल महू, जिला इन्दौर (म.प्र.)

तृतीय वार्षिक ई–निविदा वित्तीय वर्ष 2026–27

:: शर्तें ::

1. वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये खाद्यान्न, सब्जियों, दवाईयों एवं अन्य सामग्री के क्रय की कार्यवाही म.प्र. जेल पूर्ति नियम, 1968 एवं मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संषोधित–2022) के अंतर्गत ई–टेण्डरिंग के माध्यम से अर्थात ऑनलाईन की जायेगी।

2. निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा शुल्क, ठेके की लागत 5 लाख तक रू 500 एवं 5 लाख से अधिक रू 1000, प्रति निविदा फार्म ऑनलाईन लेखा शीर्ष 0056 जेलें–800 अन्य प्राप्तियां में करना होगा।

3. निविदायें खण्डवार पृथक–पृथक ऑनलाईन जमा की जाएंगी। निविदा में 03 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति की राशि खण्डानुसार www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन स्वीकार की जाएगी। 03 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति (Earnest Money Deposit) की राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	खण्ड का नाम	कुल लागत	03 प्रतिशत प्रतिभूति की राषि
1.	खाद्यान्न,सब्जिया एवं फल	**10 लाख**	**30000**

4. वार्षिक ई–निविदा में दर्शायी गयी वस्तुओं के भाव अधिकतम **दिनांक 30.06.2027** अथवा अगले वर्ष का ठेका स्वीकृत होने तक, जो भी प्रथम हो, वैद्य रहेंगे।

5. खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता औसत स्तर की होनी चाहिए। प्रत्येक निविदाकार को सामग्री की दरें ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होंगी। निविदा में जो दरें प्रस्तुत की जाएं वे समस्त करों सहित होनी चाहिए। पृथक से कोई कर देय नहीं होगा।

6. उन्हीं निविदाकारों की निविदा स्वीकृत होगी, जो वस्तु एवं सेवाकर (GST) के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्यापारी होंगे। प्रत्येक निविदाकार को निविदा के साथ निविदा तिथि से पिछली तिमाही **(Quarter)** का जी.एस.टी. रिटर्न प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. निविदाएं संबंधित जेल कार्यालय में उपस्थित निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों एवं क्रय समिति की उपस्थिति में निर्धारित तिथि को नियत समय पर खोली जाएंगी। तिथि परिवर्तन की सूचना www.mptenders.gov.in पर अपलोड कर एवं जेल के सूचना पटल पर लिखित में चस्पा कर दी जाएगी एवं निविदाकारों को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा।

8. प्रत्येक निविदाकार द्वारा निविदा के साथ आवश्यक रूप से कारागार अधिनियम, 1894 की धारा–10 एवं जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक 05/वारंट–3/भोपाल, दिनांक 28.01.2015 के प्रावधान के अनुसार क्रमशः प्रपत्र–(अ) एवं (ब) में पृथक–पृथक 200–200 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पर मूल प्रति में भारतीय स्टॉप म.प्र. संशोधन अधिनियम 2014 की अनुसूचि 1–क के अनुच्छेद कमांक 45 के अनुसार पब्लिक नोटरी के द्वारा 50 रूपये के टिकिट चस्पा कर नोटरी की जाना अनिवार्य हैं व शपथ पत्र को ई –टेंडर पोर्टल पर अपलोड करें। शपथ पत्र के अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी।

Scanned with OKEN Scanner

शपथ पत्र–अ

(कारागार अधिनियम 1894 की धारा 10 के प्रावधान के अनुरूप)

मैं ....जो सब जेल महू, जिला इन्दौर के लिये सामग्री प्रदाय हेतु फर्म .... की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता हुँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म.. के मालिक/भागीदार अथवा कोई निकट परिजन मध्यप्रदेश जेल विभाग में किसी भी स्थान पर किसी भी तरह के पद पर नियोजित नहीं है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

....

शपथ पत्र–ब

(जेल मुख्यालय म.प्र. भोपाल के परिपत्र क्रमांक 05/वारंट–3 बंदी मृत्यु/2015/भोपाल दिनांक 28.01.2015)

मैं...जो सब जेल महू, जिला इन्दौर के लिये सामग्री प्रदाय हेतु फर्म...की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म.. के मालिक/भागीदार किसी भी आपराधिक प्रकरण में जेल से जमानत पर रिहा नहीं है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

....

9. तहसील या मंडी या खाद्यान्न क्रय समिति की दरें निविदा खोलने की दिनांक के पूर्व प्राप्त न होने की स्थिति में, क्रय समिति के विवेक पर एक सप्ताह में प्राप्त करने की शर्त पर, निविदा खोलने की तिथि बढ़ाई जा सकेगी।

10. निविदा में निविदाकारों द्वारा निम्नानुसार स्वयं हस्ताक्षरित एवं फर्म की सील सहित दस्तावेज ओनलाईन पोर्टल www.mptenders.gov.in पर अपलोड कराएं जाएंगे। तकनीकी बिड खुलने के पश्चात ओनलाईन अपलोड दस्तावेजों का क्रय समिति द्वारा परिक्षण कर, हस्ताक्षर किए जावेंगे। अपठनीय, अस्पष्ट एवं संदेहास्पद दस्तावेज की मूलप्रति मंगाकर जेल अधीक्षक तस्दीक करेंगे। निविदाकार द्वारा मूल प्रतियां प्रस्तुत न करने की दशा में उसकी 03 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति की राशि (E.M.D.) राजसात कर ली जाएगी। तकनीकी बिड में पात्र निविदाकर्ता के ही वित्तीय प्रस्ताव (Financial bid) खोले जायेगें:–

i. आधार कार्ड एवं पैन कार्ड।
ii. मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम,1958 के अधीन पंजीकरण का वैद्य प्रमाण पत्र।
iii. जी.एस.टी. पंजीयन एवं निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पिछले तीन माह का जी. एस. टी. रिर्टन अथवा पिछली तिमाही (quarter) का जी.एस.टी. रर्टन
iv. विगत 03 वर्षो का आयकर रिटर्न प्रमाण–पत्र।
v. शपथ पत्र "अ" एवं "ब"।
vi. अनाज एवं सब्जी विक्रय हेतु कृषि उपज मंडी समिति का वैद्य लायसेंस।
vii. खाद्य वस्तुओं/ दवाईयों के लिए खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन वैद्य अनुज्ञप्ति (लायसेंस)।
viii. वस्तुओं के व्यापार संबंधी नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद का वैद्य लायसेंस। इन संस्थाओं द्वारा वैद्य लायसेंस जारी न करने की दशा में उनका स्पष्ट पत्र।
ix. दवाईयों की निविदा हेतु वैद्य ड्रग लायसेंस।
x. निविदा में उल्लेखित सामग्रियों के अपेक्षित नमूनों से संबंधित–पत्र।
xi. वस्तुओं के ब्रांड से संबंधित–पत्र।

Scanned with OKEN Scanner

xii. निविदाकार फर्म का नाम किसी भी विभाग में काली सूची (Blacklist) में नहीं होने का घोषणा– पत्र।

11. निविदा के साथ संलग्न किये गए दस्तावेजों का उनके जारीकर्ता विभाग से सत्यापन कराया जा सकता है। सत्यापन के दौरान यदि दस्तावेज फर्जी अथवा गलत पाये जाते हैं तो संबंधित व्यापारी का ठेका निरस्त कर, उसके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

12. निविदा में उल्लेखित खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री के अपेक्षित नमूने निविदाकार को नियत तिथि एवं निर्धारित समय तक प्रस्तुत करने होंगे।निविदाकार जिन सामग्रियों के लिये निविदा प्रस्तुत कर रहे है उन सामग्रियों के ब्रैंड तथा मेक का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है।नमूने प्राप्त न होने अथवा सामग्री के नाम के साथ ब्रैंड के नामों का उल्लेख न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। नमूने 500–500 ग्राम के पारदर्शी डब्बों में समान गुणवत्ता वाले **दो–दो** पैक में फर्म का नाम लिखकर, नमूनों को पूर्णतः सीलबंद कर, स्वहस्ताक्षरित फर्म की सील लगाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

13. नमूने का परीक्षण उपस्थित निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों तथा संबंधित जेल की क्रय समिति की उपस्थिति में किया जाएगा। जेल क्रय समिति द्वारा स्वीकृत नमूनों पर हस्ताक्षर कर, सील बंद डिब्बे में रखे जायेंगे। निविदाकरों द्वारा प्रदाय वस्तुएं साफ सुथरी होंगी और नमूनों से मिलाई जाएंगी, व्यापारियों द्वारा प्रदाय माल का मिलान नमूने के मुताबिक होने या न होने की घोषणा जेल अधीक्षक द्वारा की जाएगी, जो मान्य होगी।

14. निविदा में दर्शाई गई सामग्री की मात्रा अनुमानित है। आवश्यकता पडने पर सामग्री की मात्रा कम या अधीक की जा सकती हैं। सफल निविदाकर्ता को निर्धारित अवधि में सामग्री का प्रदाय स्वीकृत ट्रेडमार्क या नमूने के अनुरूप करना होगा। कोई भी सामग्री उपरोक्तानुसार न होने पर स्वीकार नहीं की जाएगी। अस्वीकृत माल ठेकेदार को अपने अपने व्यय से तुरन्त वापस ले जाकर, नमूने अनुसार माल प्रदाय करना होगा। प्रदाय न करने पर खुले बाजार से माल क्रय किया जाकर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली संबंधित ठेकेदार से की जाएगी। यह वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में या उसकी जमा निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guaranrtee) राशि में से की जा सकेगी, साथ ही उसे भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड करने हेतु कार्यवाही की जाएगी।

15. सब्जियाँ साफ एवं ताजी प्रदाय करनी होंगी, जो प्रातः 07:00 से 09:00 बजे तक अनिवार्य रूप से जेल गेट तक पहुंचानी होंगी। निर्धारित समय तक सब्जियॉ प्राप्त न होने पर बंदियों की भोजन व्यवस्था बनाये रखने के लिये खुले बाजार से सब्जियां क्रय की जाएंगी, जिस पर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली ठेकेदार को देय किसी भी रकम से की जा सकेगी। ठेकेदार द्वारा विलंब से भेजी गई सब्जियॉ वापस कर दी जायेंगी जिसके लिये ठेकेदार स्वयं उत्तदायी होंगे। सब्जियां जेल बगीचे से उपलब्ध न होने की दशा में ही ठेकेदार से क्रय की जाएगी।

16. दवाईयों एवं चिकित्सीय सामग्रियों की निविदा हेतु निविदाकार को वैध ड्रग लायसेंस संलग्न करना आवश्यक है। जिन दवाओं में एक्सपायरी डेट निर्माता कंपनी द्वारा एक वर्ष से अधिक की नियत की गई हो, ऐसी दवाईयों की प्रदायगी में सामान्यतः एक्सपायरी डेट कम से कम एक वर्ष शेष होना आवश्यक है। दवाईयां एवं अन्य चिकित्सीय सामग्री ठेके में, एम.आर.पी. से अधिकतम डिस्काउंट देने वाले निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जाएगी। निविदाकारों को अस्पताल में भर्ती बंदियों तथा जेल में गंभीर रूप से बीमार बंदियों हेतु मांग किये जाने पर तत्काल दवाईयों की पूर्ति करनी होगी।

17. निविदा में उल्लेखित सभी वस्तुएं शासकीय/अर्धशासकीय/शासन द्वारा अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रदाय न करने की स्थिति में ही, स्वीकृत निविदाकारों से क्रय की जाएगीं।

18. जिस निविदाकार की निविदा जेल क्रय समिति द्वारा स्वीकार करने की अनुशंसा की गई हो, उसे 10 दिवस के अंदर पंजीयन एवं स्टाम (वाणिज्यिक कर) विभाग मध्य प्रदेश रूपये के निर्धारित स्टांप शुल्क अनुसार नॉन ज्युडिशियन स्टांप पर करारनामा भरना होगा, जिसकी प्रति सब जेल महू के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

19. सशर्त निविदा मान्य नहीं की जाएगी। ठेके की शर्तों के क्रियान्वयन के लिये सफल निविदाकर्ता, निविदा में लेख रकम के बराबर का शोध क्षमता प्रमाण–पत्र या उसके बदले में निविदा की रकम के **03** प्रतिशत तक निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) डिमांड ड्राफ्ट/मियादी जमा रसीद/बैंकर्स चैक/बैंक गारंटी/irrevocable के रूप में देगा, बैंक गारंटी का सत्यापन संबंधित बैंक से कराया जाएगा। प्रतिभूति की राशि जेल अधीक्षक के नाम से देय होगी। 03 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति राशि निविदा स्वीकृत होने के 10 दिवस के अंदर जमा करनी होगी।

20. निविदा महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरांत ही मान्य होगी। निविदा खुलने के बाद, यदि न्यूनतम दर वाली निविदाकर्ता (L1) निविदा वापस लेते हुये करारनामा भरने एवं निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) जमा करने से इंकार करता है, तो उसका टेंडर निरस्त करते हुये उसके द्वारा जमा

निरंतर

Scanned with OKEN Scanner

की गई 03 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति (Earnest money deposit) की राशि जप्त कर ली जाएगी और संबंधित खंड/सामग्री की निविदा पुनः आमंत्रित की जाएगी।

21. सफल निविदाकर्ता को समस्त पूर्तियाँ समझौते के अनुसार किश्तों में आवश्यकतानुसार दैनिक/साप्ताहीक/पाक्षिक/मासिक इन्डेंट के आधार पर जेल गेट पर करनी होगी। इसके लिये अतिरिक्त भाडा देय नहीं होगा। इन्डेंट प्राप्त करने की जवाबदारी निविदाकार की होगी।

22. प्रत्येक निविदाकार को पत्राचार हेतु अपने अधिकृत मोबाईल नम्बर/Whatsapp number/Email ID देना अनिवार्य होगा। जिन निविदाकारों ने निविदा प्रस्तुत करते समय फर्म के प्रिटेंड लेटर पेड पर मोबाईल नम्बर/Whatsapp number/Email ID में से कोई एक भी अंकित किया है, तो उसे भी मान्य किया जावेगा। उक्त अधिकृत माध्यमों पर दी गई सूचना सभी प्रयोजनों के लिए मान्य होगी।

23. देयकों का भुगतान संबंधित जेल द्वारा ई–पेमेंट के माध्यम से किया जाएगा। सामग्री के भुगतान के समय नियमानुसार जो भी कर काटने योग्य होगा, काटा जाएगा। विशेष परिस्थिति में भुगतान हेतु डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक पर बैंक का कमीशन भी व्यापारी से काटा जाएगा। देयकों के भुगतान में विलंब होने के कारण वस्तुओं का प्रदाय रोकने का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा।

24. महानिदेशक जेल एवं सुधरात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश को सब जेल महू, जिला इन्दौर की क्रय समिति द्वारा अस्थाई रूप से स्वीकार की गई निविदा की पुष्टि करने या अभिलिखित कारणों के आधार पर उसे अंशतः स्वीकृत या नामंजूर करने का अधिकार है।

25. निविदा तथा करारनामें के अनुसार पूर्ति के संबंध में सभी विवाद संबंधित जेल के जिले में स्थित सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

सहायक जेल अधीक्षक
सब जेल महू जिला इन्दौर (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

जेल मुख्यालय

भोपाल(म.प्र.)

क्रमांक 493 /निर्वाह शाखा/2026 भोपाल, दिनांक 07/01/2026

प्रति,

समस्त जेल अधीक्षक,
मध्यप्रदेश।

विषय :– वार्षिक निविदा वर्ष 2026–27 के संबंध में।

–0–

उपरोक्त विषयांकित जेल मुख्यालय के पत्र क्रमांक 27959/निर्वाह शाखा/दिनांक 22.12.2025 द्वारा मध्यप्रदेश की जेलों में बंदियों के भोजन हेतु लगने वाली खाद्यान्न सामग्री, सब्जी/फल, दवाईयां एवं अन्य सामग्रियों की वार्षिक निविदा 2026–27 की कार्यवाही पूर्ण कर निविदा प्रस्ताव दिनांक 20 फरवरी, 2026 तक जेल मुख्यालय को भेजने हेतु निर्देशित किया गया है।

जेल मुख्यालय के पत्र क्रमांक 109/निर्वाह शाखा/दिनांक 02.01.2025 द्वारा निविदा शर्त जारी की गई थी। निविदा शर्त क्रमांक 08 में निविदाकार को प्रपत्र–अ एवं ब में पृथक–पृथक 50–50 रूपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित कर शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।

निविदा शर्त क्रमांक 18 में पंजीयन एवं स्टाम्प (वाणिज्यिक कर) विभाग मध्यप्रदेश के निर्धारित स्टाम्प शुल्क के अनुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करारनामा भरने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक 09 सितम्बर, 2025 द्वारा भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम 2025 में संशोधन किया गया है (छाया प्रति संलग्न)। उक्त नियम अनुसार शपथ पत्र एवं निविदा का करारनामा तैयार किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं द्वारा आदेशित)

924
7/1/2026

जेल उप महानिरीक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल.

Scanned with OKEN Scanner

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 250] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 सितम्बर 2025—भाद्र 18, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2025

क्र. 8590-159-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 3 सितम्बर, 2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १८ सन् २०२५

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०२५

[दिनांक ३ सितम्बर, २०२५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ९ सितम्बर, २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०२५ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८९९ का संख्यांक २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का संख्यांक २) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

अनुसूची १-क का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची १-क में,-

(१) अनुच्छेद ५ में, कॉलम (२) में, शब्द "पचास रुपए" के स्थान पर, शब्द "दो सौ रुपए" स्थापित किए जाएं.

(२) अनुच्छेद ६ में,-

(एक) खण्ड (ङ) के उपखण्ड (दो) में, कॉलम (२) में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड (छ ख) में, उपखण्ड (एक) और (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(एक) यदि संविदा मूल्य पचास लाख रुपए तक है.	एक हजार रुपए
(दो) यदि संविदा मूल्य पचास लाख रुपए से अधिक है.	दस लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए संविदा मूल्य का ०.२ प्रतिशत.".

(तीन) खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(ज) यदि अन्यथा उपबंध न किया गया हो,—

(एक) जहां मूल्य निहित है	न्यूनतम एक हजार रुपए के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक दस हजार रुपए या उसके भाग के लिए एक रुपया,

Scanned with OKEN Scanner

(दो)	उपर्युक्त (एक) के अंतर्गत न आने वाले मामले के लिए	एक हजार रुपए.".

(३) अनुच्छेद २४ में, कॉलम (२) में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

(४) अनुच्छेद ३२ में, कॉलम (२) में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

(५) अनुच्छेद ३८ के खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(तीन) उपर्युक्त (एक) एवं (दो) के अंतर्गत न आने वाले खनन पट्टों के लिए	ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम का २ प्रतिशत.".

(६) अनुच्छेद ४१-क में,-

(एक) खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) में, कॉलम (२) में, शब्द "पांच हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) में, कॉलम (२) में, शब्द "दो हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

(तीन) खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) में, कॉलम (२) में, शब्द "दो हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

(चार) खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) में, कॉलम (२) में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "दो हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

(७) अनुच्छेद ४८ में, कॉलम (१) में, स्पष्टीकरण-एक में, शब्द "नाती" के पश्चात्, शब्द "तथा भाई की मृत्यु की दशा में उसकी पत्नी व बच्चे" जोड़े जाएं.

(८) अनुच्छेद ४९ में,-

(एक) खण्ड क के उपखण्ड (क) में, कॉलम (२) में, शब्द "दो हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड ख के उपखण्ड (ख) में, कॉलम (२) में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

(९) अनुच्छेद ५० में,-

(एक) खण्ड (क) में, कॉलम (२) में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "दो हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) में, कॉलम (२) में, शब्द "दो हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

Scanned with OKEN Scanner

(तीन) खण्ड (घ) में, उपखण्ड (एक) में, कॉलम (२) में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "दो हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

(चार) खण्ड (ङ) में, कॉलम (२) में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "दो हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

(पांच) खण्ड (च) में, कॉलम (२) में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "दो हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

(१०) अनुच्छेद ५३ में, कॉलम (२) में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

(११) अनुच्छेद ६० में, कॉलम (२) में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "दो हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

(१२) अनुच्छेद ६३ में, खण्ड ख में, कॉलम (२) में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2025

क्र. 8590-159-इक्कीस-अ (प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 18 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

Scanned with OKEN Scanner

जेल मुख्यालय
भोपाल (म.प्र.)

क्रं.   /निर्वाह शाखा/2026   भोपाल,   दिनांक   2026

प्रति,

जेल अधीक्षक,
केन्द्रीय जेल इंदौर
मध्य प्रदेश।

विषयः वर्ष 2026–27 की वार्षिक निविदा में रूपये 200/– के स्टाम्प पर मार्गदर्शन दिये जाने के संबंध में।

संदर्भः आपका पत्र क्रमांक 135/ निर्वाह/2026 इंदौर दिनांक 13.02.2026।

*****

उपरोक्त विषय में संदर्भित लेख है, कि वर्ष 2026–27 की निविदा में शर्त क्र. 08 में शपथ पत्र **अ** एवं **ब** 200 रू. के स्टाम्प पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में आपके द्वारा मार्ग दर्शन चाहा गया है, कि केन्द्रीय जेल इंदौर की वार्षिक निविदा 2026–27 में कई निविदाकारों द्वारा 100 रू. के स्टाम्प पर 100 रू. का एडैसिव स्टॅाम्प टिकिट लगाकर शपथ–पत्र प्रस्तुत किये हैं। जिसे 200 रू. का स्टाम्प पत्र माना जाए अथवा नहीं।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है, कि भारतीय स्टाम्प अधिनियिम 1899 के अध्याय 02 स्टाम्प शुल्क की धारा 10 के अनुसार एवं मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक 09.09.2025 द्वारा भारतीय स्टाम्प (मध्य प्रदेश संशोधन) अधिनियम 2025 की धारा 03 (1) के अनुसार 200 रू. के स्टाम्प के लिए 100 रू. के स्टाम्प पर 100 रू. का एडैसिव स्टाम्प टिकिट लगाना विधि अनुसार मान्य नहीं है।

(महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं द्वारा अनुमोदित)

sd/-
(मंशाराम पटेल)
जेल उप महानिरीक्षक
म.प्र. भोपाल

प्रतिलिपिः

पृ. क्रमांक 4832 /निर्वाह शाखा/ 2026, भोपाल, दिनांक 21/02/2026

1. समस्त जेल अधीक्षक, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

21/2/2026
(मंशाराम पटेल)
जेल उप महानिरीक्षक
म.प्र. भोपाल

Signature Not Verified
Digitally signed by MITENDRA SANEKAR
Date: 2026.05.12 14:32:10 IST
Location: Madhya Pradesh-MP

Scanned with OKEN Scanner